

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त उप आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त राज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
संख्या संवर्ग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी ।

कृपया वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रविष्टियों से सम्बन्धित कार्यविवरण ऑनलाइन अपलोड करने हेतु जारी मुख्यालय के परिपत्र संख्या-चरित्र पंजिका/परिपत्र/ सामान्य वार्षिक प्रविष्टि-2022-23// 1046/ राज्य कर, दिनांक 30-06-2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कार्यविवरण अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में तिथि बढ़ाते हुए राज्य कर विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों को अपना स्वमूल्यांकन / कार्यविवरण दिनांक 31-07-2023 तक ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

चूँकि कतिपय कारणों से राज्य कर विभाग में कार्यरत कतिपय अधिकारियों द्वारा अपना वित्तीय वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित वार्षिक कार्यविवरण ऑनलाइन अपलोड नहीं किया जा सका है। अतः कार्यविवरण अपलोड किए जाने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए, आप सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप वर्ष 2022-23 से सम्बन्धित अपना वार्षिक कार्यविवरण प्रत्येक दशा में दिनांक 17-08-2023 तक ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें।

तत्क्रम में ही वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा अपना गोपनीय मन्तव्य ऑनलाइन अंकित किये जाने हेतु तिथि निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्रम सं०	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1.	दिनांक 31-08-2023	30-09-2023	31-10-2023

अतः उपरोक्त समय-सारिणी का अनुपालन समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करें। यह पत्र आयुक्त, राज्य कर महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

Eo/-

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ०प० संख्या एवं दिनांक : ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ ।
2. अध्यक्ष, राज्य कर अधिकरण लखनऊ ।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 / 2 (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज / लखनऊ ।
4. संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज / लखनऊ / गाजियाबाद ।

5. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पोर्टल में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कम्प्यूटर ऑपरेटर स्थापना राजपत्रित अनुभाग को ई0आई0एम0एस0 पर अपलोड करने हेतु।

(श्याम प्रसाद)

संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।